

श्रावक के द्वादश व्रत

(महोपाध्याय श्रीचन्द्रभसागरजी महाराज)

व्रत श्रावकाचार का आधारभूत तत्व है। अनैतिक आचार से विरति ही व्रत है। तत्वार्थसूत्र में लिखा है कि हिंसानृतास्त्येया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वतम्।^१ अर्थात् हिंसा, असत्य, अचौर्य मैथुन व परिग्रह से विरति व्रत है। व्रत वस्तुतः वह धार्मिक कृत्य या प्रतिज्ञा है, जिसके पालन से व्यक्ति अशुभ से मुक्त होता है एवं शुभ तथा शुद्धत्व की यात्रा करता है।

जैनगमों में श्रावक के १२ व्रतों का वर्णन किया गया है, जिनका विभाजन इस प्रकार है — १. पांच अणुव्रत, २. तीन गुणव्रत और ३. चार शिक्षा व्रत। गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों को समवेत रूप में शीलव्रत भी कहा जाता है। तत्वार्थसूत्र में अणुव्रतों को ही श्रावक का व्रत कहा है। शीलव्रत को मूल व्रत न कहकर अणुव्रतों के पालन में सहायक बताया गया है। जबकि श्रावकधर्म प्रज्ञप्ति में लिखा है —

पंचेव अणुव्याइं गुणव्याइं च हुंति तित्रेव।
सिक्खाव्याइं उत्तरे, सावगधम्मो दुवालसहा॥^२

अर्थात् श्रावक-धर्म पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत - यों बारह प्रकार का है।

योगशास्त्र में भी यही वर्णित है :-

सम्यक्त्वमूलानि, पन्चाणुव्रतानि गुणास्यः।
शिक्षापदानि चत्वारि, व्रतानि गृहमेधिनाम्॥^३

अणुव्रत

जिनेन्द्र देव ने दो करण, तीन योग, आदि से स्थूल हिंसा और दोषों के त्याग की अहिंसा आदि को पांच अणुव्रत कहा है -

विरतिं स्थूलहिंसादेव्द्विविधत्रिविधादिना।

अहिंसादीनि पन्चाणुव्रतानि जगदुर्जिनाः॥

आतुरप्रत्याख्यान में अणुव्रतों के संबंध में लिखा है -

पाणिवहमुसावाए, अदत्परदारनियमणेहि च।

अपरिमिइच्छाओ विय, अणुव्याइं विरमणाइं॥^४

अर्थात् प्राणि-वध (हिंसा), मृत्युवाद (असत्य वचन), अदत्त वस्तु का ग्रहण (चोरी) परस्ती सेवन (कुशील) तथा अपरिमित कामना (परिग्रह) इन पांचों पापों से विरति अणुव्रत है।

अब हम उक्त पांचों अणुव्रतों पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

१. अहिंसाणुव्रत

न केवल अणुव्रतों का अपितु समस्त जैन आचार का मूल अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः। श्रावकाचार के अन्तर्गत अहिंसा के सम्बन्ध में इतना ही लिखना अपेक्षित है कि गृहस्थ को स्थूल हिंसा

से विरत होना चाहिए। चूंकि श्रावक गृही-जीवन-यापन करता है। अतः वह हिंसा से सर्वथा अलग नहीं हो सकता। इसलिए अहिंसाणुव्रत के परिपालन के लिए यह कहा गया है कि श्रावक स्थूल हिंसा कभी न करे, सूक्ष्म हिंसा भी उससे न हो, इसका भी उसे ध्यान रखना चाहिए। यतनाचार/विवेक पूर्वक अपने गार्हस्थ्य जीवन को बिताये।

शास्त्र में अहिंसा - अणुव्रत पालन करने के लिए कुछेक आज्ञाएं दी गयी हैं। —

१. क्रोध आदि कषायों से मन को दूषित करके पशु तथा मनुष्य आदि का बन्धन नहीं करना चाहिए।
२. डण्डे आदि से ताइन-पीटन नहीं करना चाहिए।
३. पशुओं के नाक आदि अंगों का छेदन नहीं करना चाहिए।
४. शक्ति से अधिक भार लादना नहीं चाहिए।
५. खान-पान आदि जीवन-साधक वस्तुओं का निरोध नहीं करना चाहिये।

उक्त कर्म हिंसा रूप है। अतः इनका त्याग अहिंसा-अणुव्रत का पालन है।

सावयपण्णति में इसी का उल्लेख मिलता है -

बन्धवहृष्टविच्छेद, अइभारे भूतपाणवुच्छेद।

को हा इदूसियमणो, गोमणयाईण नो कुज्जा॥^५

तत्वार्थ सूत्र में भी उक्त पाचों अतिचारों का उल्लेख हुआ है। पाक्षिक अतिचार सूत्र में इस तथ्य का कुछ विस्तार से विवेचन हुआ है।

आचार्य हेमचन्द्र का अभिमत है कि पंगुपन, कोढ़ीपन और कुणित्व आदि हिंसा के फलों को देखकर विवेकान् पुरुष निरपराध त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करे। अहिंसा-धर्म का ज्ञाता और मुक्ति की अभिलाषा रखनेवाला श्रावक स्थावर जीवों की भी निर्थक हिंसा न करे।

पंगुकुष्ठिकुणित्वादि, दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधीः।

निरागखसजन्तुनांक, हिंसा संकल्पतस्त्यजेत् ॥

निरथिकां न कुर्वीत, जीवेषु स्थावरेष्वपि ।

हिंसामहिंसाधर्मज्ञः, काङ्क्षन्मोक्षमुपासकः ॥^६

इन्हीं आचार्य के द्वारा हिंसा की निन्दा करते हुए कहा गया है कि हिंसा से विरक्त व्यक्ति अपांग एवं रोगी होते हुए भी हिंसारत सर्वांग सम्पत्र व्यक्ति से श्रेष्ठ है। विघ्नों को शान्त करने के प्रयोजन से की हुई हिंसा भी विघ्नों को ही उत्पन्न करती है और कुल के आचार का पालन करने की बुद्धि से भी की हुई हिंसा कुल का विनाश कर देती है। यदि कोई मनुष्य हिंसा का परित्याग नहीं करता

है तो उसका इन्द्रिय-दमन, देवोपासना, गुरुसेवा, दान, अध्ययन और तप ये सब निष्कल हैं।

कुर्णिवरं वरं पंगुरशरीरी वरं पुमान् ।

अपि सम्पूर्णसर्वाङ्गे, न तु हिंसापारायणः ॥

हिंसा विघ्नाय जायेत, विघ्नशान्त्यै कृता पि हि ।

कुलाचारविधा प्येषा, कृता कुलविनाशिनी ।

दमो देव-गुरुपास्तिर्दानमध्ययनं तपः ।

सर्वमप्येतदफलं, हिंसा चेत्रं परित्यजेत् ॥^८

इस अणुव्रत को स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत भी कहा जाता है।

२. सत्याणुव्रत

“सत्यमेव जयते” - सत्य की विजय होती है और असत्य की पराजय। जो सत्पुरुष ज्ञान और चारित्र के कारणभूत सत्य वचन ही बोलते हैं, उनके चरणों की रज पृथ्वी को पावन बनाती है -

ज्ञान-चारित्रयोर्मलं, सत्यमेव वदन्ति ये ।

धात्री पवित्रीक्रियते, तेषां चरणरेणुभिः ।^९

स्थूल असत्य से विरत होना सत्याणुव्रत है। मृषावाद विरमण व्रत इसी का अपर नाम है। सत्याणुव्रती गृहस्थ को कतिपय दोषों से बचने का निर्देश दिया गया है। तत्वार्थसूत्र के अनुसार सत्याणुव्रती को मिथ्या उपदेश, असत्य दोषारोपण, कूटलेखक्रिया, न्यास-अपहार और मन्त्र भेद अर्थात् गुप्त बात प्रकट करना + इन पांच अतिचारों से बचना चाहिए मिथ्योपदेश - रहस्याख्यानकूट लेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः।^{१०} “सावयपण्णति” में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार कन्या-अलीक, गो-अलीक व भू-अलीक अर्थात् कन्या, गो (पशु) तथा भूमि के विषय में झूठ बोलना, किसी की धरोहर को दबा लेना और झूठी गवाही देना - इनका त्याग स्थूल असत्य विरति है। साथ ही साथ सत्य-अणुव्रती बिना सोचे-समझे न तो कोई बात करता है, न किसी का रहस्योद्घाटन करना है, न अपनी पत्नी की कोई गुप्त बात मित्रों आदि में प्रगट करता है, न मिथ्या अहितकारी उपदेश करता है और न कूटलेख क्रिया जाली हस्ताक्षर या जाली दस्तावेज आदि करता है। मूल सूत्र ये हैं :-

थूल मुसावायास्स ३, विर्ई दुत्वं स पंचवा होई ।

कत्रामोभू आलिलय, नासहरणकूडसविखज्जे ।

सहसा अब्बक्खाणं रहस्सा य सहारमंत मोयं च ।

मोसोवए सयं कूडलेह करणं च वज्जज्जजा ॥^{११}

योगशास्त्र में भी कन्यालीक आदि पूर्व संकेतित स्थूल असत्य कहे हैं।^{१२}

इस शास्त्र में यह भी वर्णित है कि इन पांच स्थूल असत्यों का उपयोग क्यों वर्जित है। इसके अनुसार कन्यालीक, गो-अलीक और भूमि अलीक-लोक विरुद्ध हैं। न्यासापहार विश्वासघात का जनक है और कूटसाक्षी पुण्य का नाश करने वाली है। अतः श्रावक को स्थूल मृषावाद नहीं बोलना चाहिए।

सर्वलोकविरुद्धं यद्यद्विश्वितधातकम् ।

यद्विपक्षश्च पुण्यस्य, न वदेत्तदसूत्रतम् ॥^{१३}

स्थानांगसूत्रानुसार सत्याणुव्रती को असत्य वचन, तिरस्कार युक्त वचन, झिङ्कते हुए वचन, कठोर वचन, अविचारपूर्ण वचन और शान्त कलह को पुनः झिङ्काने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए।

इमाइं छ अवयणाइं वदित्तए -

अलियवयणे, हीलियवयणे खिसितवयणे फरसवयणे ।^{१४}

गारत्थियवयणे, विउसवित वा पुणाउदीरित्तए ।^{१५}

वस्तुतः जो वचन तथ्य होने पर भी पीड़ाकारी हो, वह भी असत्य में ही परिणित है। हेमचन्द्राचार्य ने स्पष्ट कहा है “न सत्यमपि भाषेत, परपीड़ाकरं वचः” अर्थात् जो वचन भले ही सत्य कहलाता हो, किन्तु दूसरे को पीड़ा उत्पन्न करने वाला हो, तो वह भी नहीं बोलना चाहिए।

व्यक्ति निम्न चौदह कारणों से असत्य का सेवन करता है -

१. क्रोध २. अभिमान ३. कपट ४. लोभ ५. राग ६. द्वेष ७. हास्य ८. भय ९. लज्जा १०. क्रीड़ा ११. हर्ष १२. शोक १३. दक्षिण्य तथा १४. बहुभाषण।

श्रावकाचार का पालन करने वाला उक्त दोषों से बचने का प्रयास करे।

३. अदत्तादानविरमणव्रत

जिस वस्तु का जो स्वामी है, उसके द्वारा प्रदत्त वस्तु को ग्रहण करना दत्तादान है और उसके बिना दिये उसकी वस्तु को लेना अदत्तादान है। यह श्रावक का तृतीय अणुव्रत है। इसे अस्तेयाणुव्रत या अचौर्याणुव्रत भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत गृहस्थ को स्थूल चौर्यकर्म से विरत होना है।

लोकनिद्य और राज्य द्वारा दंडनीय चोरी का श्रावक त्याग करता है। चोरी करने से व्यक्ति “चोर” कहलाता है, राजदण्ड और निन्दा पाता है, अतः चोरी/अदत्तादान श्रावक के लिए त्याज्य है। चौर्यकर्म की निन्दा करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि जो पराये धन का अपहरण करता है, वह अपने इस लोक को, परलोक को, धैर्य, स्वास्थ्य और हिताहित के विवेक को, हरण करता है। दूसरे के धन को चुराने से इस लोक में निन्दा होती है, परलोक में दुःख का संवेदन करना पड़ता है, धर्म का धीरज का और सन्मति का नाश होता है। चौर्य-कर्म करने के कारण मनुष्य कहीं भी स्वस्थ - निश्चिन्त नहीं रह पाता दिन में रात में, सोते समय और जागते समय, सदा सर्वदा वह सशल्य बना रहता है। चोरी का द्विफल बताते हुए आचार्य कहते हैं कि चोरी से इस लोक में वध, बन्धन आदि फल प्राप्त होते हैं और परलोक में नरक की भीषण वेदना का संवेदन प्राप्त होता है। मूल सूत्र इस प्रकार है :-

अयं लोकः परलोको, धर्मो धैर्यधृतिर्मतिः ।

मुष्णाता परकीयं स्वं, मुषितं सर्वमप्यदः ॥

दिवसे वा रजन्यां, वा स्वने वा जागरे पि वा ।

सशल्य इव चौर्येण, नैति स्वास्थ्यं नरः, क्वचित् ।

चौरुर्यपाप-दुमस्येह, वध-बन्धादिक फलम् ।

जायते परलोके तु, फलं नरक - वेदना ॥^{१५}

अचौर्याणुव्रती को निम्नांकित दोषों से बचना चाहिए - तत्वार्थ—
सूत्रानुसार स्तेनप्रयोगतदाहदतादानविरुद्ध - गज्याति-
क्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपक व्यवहारः ॥^{१६}

भावार्थ यह है कि चोरी की गयी वस्तु का क्रय करना, चोरों को चोरी करने में सहयोग देना, राजकीय नियमों के विरुद्ध कार्य करना, मापतौल में बईमानी करना, वस्तुओं में मिलावट करना - इन पाँच चौर्य-दूषणों से बचना अचौर्याणुव्रत है। सावयपण्णति में भी लगभग यही निर्देश मिलता है -

वज्जज्ञा तेना हड, तक्कर जोगं विरुद्धरज्जं च ।
कूड तुल कूडमाणं, तप्प डि रूप च ववहारं ॥^{१७}

अदत्तादान - विरमणव्रत का सुफल बताते हुए कहा गया है कि शुद्ध चित्त से जिन पुरुषों ने पराये धन को ग्रहण करना त्याग दिया है, उनके सामने स्वयं लक्ष्मी स्वयंवरा की भाँति चली आती हैं। उनके समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं। सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती है और उन्हें स्वर्गिक सुख प्राप्त होते हैं:-

पर्थग्रहणे येषां, नियमः शुद्धचेतसाम् ।
अभ्यायान्ति श्रियस्तेषां, स्वयमेव स्वयंवराः ॥
अनर्था दूरतो यान्ति, साधुवादः प्रवतते ।
स्वर्गसौख्यानि ढौकन्ते, स्फुटमस्तेयवारिणाम् ॥^{१८}

ब्रह्मचर्याणुव्रत

स्वपत्नी में ही सन्तोष करना तथा काम-सेवन की मर्यादा बांधना ब्रह्मचर्याणुव्रत है। इसीलिए इसे स्वदार सन्तोषव्रत भी कहा जाता है। यद्यपि कुछ आचार्यों के अनुसार यह व्रत दो प्रकार का है —

१. स्वस्त्री-सन्तोषव्रत तथा परस्त्री त्यागव्रत।

इनमें प्रथम व्रत का पालन करने वाला श्रावक अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियों के साथ भोग करने का परित्याग करता है। जबकि परस्त्री, त्यागव्रती श्रावक दूसरों की विवाहित स्त्रियों का ही त्याग करता है। इसलिए यह कहना अधिक युक्तिसंगत है कि श्रावक स्वस्त्री - सन्तोषी बनकर परस्त्री गमनका त्याग करें। इस व्रत का विधान व्यक्ति की काम वासना को सीमितर करने के लिए है। आचार्य हेमचन्द्र ने परस्त्रीगमन का कुफल बताते हुए कहा है कि अपने प्रचण्ड पराक्रम से अखिल विश्व को आक्रान्त कर देनेवाला रावण भी, परस्त्री-रमण की इच्छा के कारण अपने कुल का विनाश करके नरक गया -

विक्रमाक्रान्तविश्वोऽपि, परस्त्रीषु रिंसया ।
कृत्वा कुलक्षयं प्राप, नरकं दशकन्धरः ॥^{१९}

जिस प्रकार से परस्त्रीगमन त्याज्य है, वैसे ही पर-पुरुष सेवन भी त्याज्य है। योगशास्त्र में लिखा है -

ऐश्वर्यराजराजोपि, रूपमीनध्वजोपि च ।
सीतया रावण इव, त्याज्यो नार्या नरः परः ॥^{२०}

अर्थात्, ऐश्वर्य से कुबेर के समान, रूप से कामदेव के समान, सुन्दर होने पर भी स्त्री को परपुरुष का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए, जैसे सीता ने रावण का त्याग किया था।

ब्रह्मचर्याणुव्रती को निम्न अतिचारों / दोषों का सेवन नहीं करना चाहिए -

परस्त्री, कुमारी, वेश्या के साथ समागम करना, हस्तमैथुन करना, समलिंगी या पशु से मैथुन करना, स्वसन्तान तथा परिजनों के अतिरिक्त परविवाह सम्बन्ध करना, तीव्र कामभोग की इच्छा करना या मादक पदार्थों का सेवन करना - इन दोषों से ब्रह्मचर्याणुव्रती गृहस्थ को परे रहना चाहिए। उक्त तथ्य का उल्लेख शास्त्रों में संक्षेप में इस प्रकार मिलता है :-

इत्तरिय परिगग्हिया परिगग्हियागमणाणं गकीडं च ।

पर विवाहकरणे, कामे तिव्वाभिलासं च ॥^{२१}

परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीता परिगृहीतागमना

नड क्रीडातीवकामाभिनिवेशाः ॥^{२२}

५. परिग्रह - परिमाणाणुव्रत

इसे अपरिग्रहाणुव्रत भी कहा गया है। इसके अन्तर्गत श्रावक को अपने संग्रह या परिग्रह की एक सीमा निर्धारित करनी होती है। अधिक परिग्रह अधिक इच्छा/तृष्णा का कारण है। मूर्च्छा आसक्ति इच्छाओं की बढ़ोतरी को रोकने के लिए एवं सन्तोष धारण करने के लिए ही इस व्रत का विधान है। इसीलिए इसे इच्छा-परिमाण-व्रत भी कहा गया है। उपदेशमाला में लिखा है कि अपरिमित परिग्रह अनन्त तृष्णा का कारण है। वह बहुत दोषयुक्त है तथा नरकगति का मार्ग है।

विरया परिगग्हाओं अपरिमिआओ अणंत तण्हाओ ।

बहु दोसंकुलाओ, नरयगइगमण पंथाओं ॥^{२३}

“भक्त-परीक्षा” ग्रन्थानुसार जीव परिग्रह के निमित्त हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन का सेवन करता है, और अत्यधिक मूर्च्छा करता है। इस प्रकार परिग्रह पांचों पापों की जड़ है -

संगनिमितं मारई, भणइ अलीणं करेइ चोरिकं ।

सेवई मेहुणं मुच्छं, अप्परिमाणं कुणई जीवों ॥^{२४}

हेमचन्द्राचार्य ने भी परिग्रह के दोष बताए हैं। उनके अभिवचनानुसार जो राग-द्वेषादि दोष उदय में नहीं होते, वे भी परिग्रह की बदौलत प्रकट हो जाते हैं। जनसाधारण की तो बात ही क्या है, परिग्रह के प्रलोभन से मुनियों का चित्त भी चलायमान हो जाता है। उन्होंने परिग्रह को हिंसा का मूल बताते हुए यह भी कहा है कि जीवहिंसा आदि आरम्भ जम्म-मरण के मूल हैं और उन आरम्भों का कारण परिग्रह है। अर्थात् परिग्रह के लिए ही आरम्भसमारम्भ किये जाते हैं। अतः श्रावक को चाहिए कि वह परिग्रह को क्रमशः घटाता जाए। द्रष्टव्य है उनके स्वयं के पद -

सदभवन्त्यसन्तोपि, राग-द्वेषोदये द्विषं ।

मुनेरपि चलेच्चेतो, यत्तेनान्दोलितात्मनः ॥

संसारमूलमारम्भास्तं हेतुः परिग्रहः ।

तस्मादुपासकः कुर्यादिल्पमल्पं परिग्रहम् ॥^{२५}

परिग्रह से मनुष्यों की तृप्ति अशक्य है। यह सर्व प्रसिद्ध है

कि द्वितीय चक्रवर्ती सगर साठ हजार पुत्र पाकर भी सन्तोष न पा सका। कुचिर्ण बहुत से गोधन से तृप्ति का अनुभव न कर सका। तिलक-श्रेष्ठी धान्य से तृप्त नहीं हुआ और नन्द नामक नृपति स्वर्ण के ढेरों से भी सन्तोष नहीं पा सका। सचमुच, जैसे ईंधन बढ़ाते जाने से अग्नि शांत नहीं होती, उसी प्रकार परिग्रह से लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब कि जिस व्यक्ति का भूषण सन्तोष बन जाता है, समृद्धि उसी के पास रहती है, उसी के पीछे कामधेनु चलती है और देवता दास की तरह उसकी आज्ञा मानते हैं।

योगशास्त्र इसी का समर्थन करता हुआ कहता है :-
सत्रिधौ निधयस्तस्य कामगव्यनुगमिनि ।
अमराः किंकरायन्ते, संतोषो यस्य भूषणम् ॥ २६

परिग्रह - परिमाण - अणुव्रती विशुद्ध चित्त श्रावक को क्षेत्र मकान, सोना—चांदी, धन-धान्य, द्विपद-चतुष्पद तथा भण्डार-संग्रह आदि परिग्रह के अंगीकृत परिमाण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

खिताई हिरण्णाई, धणाई दुपयाई-कुवियगस्स तहा ।
सम्म विसुद्धचितो, न पमाणमाइकम कुज्जा ॥ २७

भगवती आराधना में निम्न दस परिग्रह बताये हैं - खेत, मकान, धन-धान्य, वस्त्र भाण्ड, दास-दासी, पशुयान, शाय्या और आसन। २८

श्रावक इनकी सीमारेखा निर्धारित करता है। तत्वार्थसूत्र में भी लगभग इन्हीं का पिष्टपेषण है : क्षेत्रपास्तुहिरण्यसुवर्णधन-धान्यदासी दासकुप्यप्रमाणितिक्रमाः । २९

गुणव्रत

श्रावक के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच अणुव्रतों के गुणों में अभिवृद्धि करने वाले दिक् देश तथा अनर्थदण्ड नामक तीन व्रतों को गुणव्रत कहते हैं। “आतुर प्रत्याख्यान” में इन्हीं तीन गुणव्रतों का उल्लेख किया गया है —

जं च दिसावेरमणं, अणत्थंडात जं च वेरमणं ।
देशावकासियं पि य, गुणव्याई भवे ताइ ॥ ३०

अर्थात् श्रावक के तीन गुणव्रत होते हैं: दिग्ब्रति, अनर्थदण्ड विरति तथा देशावकाशिक। तत्वार्थ सूत्र में भी यही नाम एवं क्रम दिया गया है। ३१

किन्तु योगशास्त्र में कुछ भिन्नता है। उसके अनुसार दिग्ब्रत, भोगोपभोग व्रत और अनर्थदण्ड व्रत - ये तीन गुणव्रत हैं। दिग्ब्रत के साथ देशावकाशिक व्रत का सीधा सम्बन्ध है। अतः हम गुणव्रतों में भोगोपभोग व्रत को स्वीकार न करके दिग्ब्रत को ही स्वीकार कर रहे हैं :-

दिग्ब्रत

परिग्रह - परिणाम व्रत के रक्षार्थ व्यापार आदि के क्षेत्र को सीमित रखने में सहायक गुणव्रत को दिग्ब्रत कहते हैं। इसे दिशाविरति तथा दिशापरिमाण व्रत भी कहा जाता है।

जिस व्यक्ति ने दिग्ब्रत अंगीकार कर लिया है, उसने जगत् पर आक्रमण करने के लिए अभिवृद्ध लोभरूपी समुद्र को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इस व्रत को धारण करने के पश्चात् मनुष्य लोभ के

कारण दूर-दूर देशों में अधिकाधिक व्यापार करने के लिये जाने से रुक जाता है और परिणामस्वरूप लोभ पर अकुंश लग जाता है। हेमचन्द्राचार्य के शब्दों में —

जगदाक्रममाणस्य, प्रसरल्लोभवारिधेः ।
स्खलनं विदधे तेन. येन दिग्बिरतिः कृता ॥ ३२

सामायिक पाठ में कहा गया है कि व्यवसाय क्षेत्र को सीमित करने के आशय से उर्ध्वदिशा, अधोदिशा, तथा तिर्यकदिशा में गमना-गमन की सीमा बांधना प्रथम गुणव्रत है।

उद्घ महे तिरियं पि य, दिसा नु परिमाणकरमणमिह पढमं ।
भणियं गुणव्यं खलु, सावग धम्मम्मि वीरेण ॥ ३३

तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि उर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिकम क्षेत्रवृद्धि स्मृत्यन्तर्धानानि ॥ ३४

दिग्ब्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं १. विभिन्न दिशाओं में जाने की, की हुई मर्यादा को भूल जाना, २-४ ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा और तिर्यग् तिरछी दिशा में भूल से, परिमाण से आगे चला जाना और क्षेत्र की वृद्धि करना अर्थात् एक दिशा के परिमाण को घटाकर दूसरी दिशा का बढ़ा लेना जिससे परिमाण से आगे जाने का काम पड़ने पर आगे भी जा सके -

स्मृत्यन्तमूर्धाधस्तिर्यग्भागव्यतिक्रमः ।
क्षेत्रवृद्धिश्च पति स्मृता दिग्बिरतिव्रते ॥

देशव्रत या देशावकाशिक व्रत

इच्छाओं को सीमित करने के लिये इस व्रत का विधान है। देश-देशान्तर में गमनागमन से व्यापार संबंधी दिशा मर्यादा व्रत में या जिस देश में जाने से परिवृत्ति व्रत के भंग होने का भय हो वहाँ जाने का त्याग करना ही देशावकाशिक व्रत है।

योगशास्त्रानुसार :-

दिग्व्रते परिमाणं, यत्तस्य संक्षेपणं पुनः ।
दिने रात्रौ च देशावकाशिक - व्रतमुच्यते ॥ ३५

अर्थात् दिग्ब्रत में गमनागमन के लिये जो परिमाण नियत किया गया है उसे दिन तथा रात्रि में संक्षिप्त कर लेना देशावकाशिक व्रत है।

वसुनन्दी श्रावकाचार में यही बात कही गयी है कि जिस देश में जाने से किसी भी व्रत का भंग होता हो या उसमें दोष लगता हो उस देश में जाने की नियमपूर्वक प्रवृत्ति देशावकाशिक नामक द्वितीय गुणव्रत है।

वयभंगकारण होइ, जीम्म देसम्मि तत्थ णियमेण ।
कीरइ गमणिण्यतो, तं जाण गुणव्यं विदियं ॥ ३६

इस व्रत के पांच अतिचार है :- आनयन-प्रेष्य-प्रयोग शब्दरूपानुपात पुद्गलक्षेत्रः ॥ ३७ अर्थात् निर्धारित क्षेत्र के बाहर से वस्तु लाना या मंगवाना, निर्धारित क्षेत्र के बाहर वस्तु भेजना, निर्धारित क्षेत्र के बाहर आवाज देना, निर्धारित क्षेत्र के बाहर खड़े व्यक्ति को बुलाने के अभिप्राय से हाथ आँख आदि अंगों से संकेत करना और कंकड़ आदि फेंकना।

किया है।

जो समो सब्बूएसु, तसेसु थावरेसु य ।
तस्स सामाइयं होई, इह केवली भासियं ॥४९(क)

इसी प्रकार जिसकी आत्मा संयम, नियम और तप में तल्लीन है, उसी की सच्ची सामायिक होती है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है —

जस्स समाणिओ अप्पा, संजमें णिअमे तवे ।
तस्स सामाइयं होइ, इह केवली भासियं ॥४९(ख)

इस सामायिक की साधना दुर्लभ है। कहा जाता है कि देवता लोग भी अपने हृदय में यह विचार करते हैं कि यदि एक मुहूर्त मात्र भी हमें सामायिक की सामग्री मिल जाये तो हमारा देवत्व सफल हो जाये।

सामाइयसामग्गिं देवावि चितंति हियय मज्जंमि ।
जइ होइ मुहूर्तमें, तो अह् देवतंतं सहलं ॥५०

सामायिक करने वाले दो प्रकार के होते हैं :-

१. ऋद्धिमन्त और ऋद्धि रहित। अऋद्धिवान लोग तो मुनियों के पास जिन मन्दिर में पोषधशाला उपाश्रय स्थानक में अपने घर पर अथवा कोई भी निर्विघ्न स्थान पर सामायिक करे और जो ऋद्धिमन्त पुरुष हैं वे साड़म्बर उपाश्रय आकर सामायिक करे, ताकि जिन शासन की प्रभावना भी हो।

यद्यपि सामायिक समता की साधना है, किन्तु गृहस्थ जीवन में पूर्वतया समभाव होना दुष्कर है। अतः उसके लिये समय की सीमा निर्धारित कर दी गयी। एक सामायिक का काल ४८ मिनिट है। श्रावक को एकधिक सामायिक करनी चाहिए। यदि अधिक न कर सके तो एक दिन में एक सामायिक तो अवश्यमेव करनी चाहिए। सामायिक करने के लिए प्रातःकाल एवं सायंकाल विशेष उचित है। श्रावक जहां सामायिक करे, वह स्थान एकान्त, पवित्र शान्त एवं अनुकूल होना चाहिए। सामायिक या पोषध करते समय आसन, मुखवस्त्रिका, चरवला/मोरपीछी स्थापनाचार्य आदि सामग्री का सामान्यतः उपयोग होता है।

सामायिक के अन्य नाम भी हैं :-

१. सामायिक समभाव
२. सामयिक समग्र जीवों पर दयापूर्वक वर्तन।
३. सम्यग्वाद राग-द्वेष रहित सत्य कथन।
४. समास अल्प अक्षरों में कर्म विनाशक तत्वावबोध।
५. संक्षेप अल्प अक्षरों में गम्भीर द्वादशांगी।
६. अनवद्य पापरहित आचरण।
७. परिज्ञा-पाप परिहार से वस्तु - बोध।
८. प्रत्याख्यान- त्याज्य वस्तुओं का त्याग।

उक्त अष्ट सामायिकों पर आठ दृष्टांत भी हैं जिनके लिये द्वादश पर्व-व्याख्यानमाला आदि ग्रन्थ अवलोकनीय हैं ॥५१

११/३ अतिथि संविभाग व्रत

अतिथिये - विभजनम् - अतिथिसंविभाग - अतिथि के लिए

आहार, पानी कक्ष आदि का संविभाग करना अतिथि संविभाग व्रत है। शास्त्र इस व्रत को दान के अन्तर्गत भी लेते हैं। दान अनुग्रह का परिचायक है, किन्तु संविभाग सेवा का द्योतक है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में कहा गया है कि यथाजात रूप के धारक व्यक्ति के लिये विधिपूर्वक नवधा भक्ति के साथ आहारादि द्रव्य विशेष का स्व और पर के अनुग्रह - निमित्त अवश्य ही विभाग करें इसे अतिथि संविभाग नामक शिक्षाव्रत कहते हैं।

विधिना दातुगुणवता, द्रव्यविशेषस्य जा तरपाया ।

स्वपरानुग्रहहेतोः, कर्तव्योऽवश्यमतिथये भागः ॥५२

उद्गम आदि दोषों से रहित देशकालानुकाल, शुद्ध अन्नादिक का उचित रीति से दान देना गृहस्थों का अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत है :-

अन्नाईणं सुद्धाणं कप्पणिज्जाण देसकालजुतं ।

दाणं जईणेमुचियं गिहीण सिक्खावयं भणियं ॥५३

योगशास्त्र में भी यही कहा गया है कि अतिथियों को चार प्रकार का आहार अर्थात् अशन, पान खादिम स्वादिम भोजन, पात्र वस्त्र और मकान देना अतिथि-संविभाग व्रत कहलाते हैं :-

दानं चतुर्विधाहारपात्राच्छादनसद्मनाम् ।

अतिथिभ्यो तिथिसंविभागव्रतमुदीरितम् ॥५४

पोषधोपवास - व्रत

पोष + ध = पोषध, पोष यानी गुण की दृष्टि को धारण करने वाला “पोषध” कहलाता है। अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व तिथियों में द्वेष - निवृत्ति पूर्वक आहार - त्यागादि गुणों सहित निवास करना उपवास कहलाता है। पूर्वाचार्यों के अनुसार दोष से निवृत्त होकर गुणों सहित सम्यक् प्रकार से रहना - उपवास है, गुणरहित करने को पौषधोपवास कहते हैं :-

उपावृत्तस्य दोषेभ्यः सम्यग्वासो गुणै सह ।

उपवासः स विज्ञेयो न शरीरविशोषणम् ॥५५

आहार शरीर - सुश्रुषा, गृह व्यापार एवं मैथुन इन चार बातों का पौषधोपवास व्रत में परित्याग किया जाता है। पंचास्तिकाय के अनुसार -

आहारदेहसक्कार-बंभा वावार पोसहो य णं ।

देसे सब्वे य इमं, चरमे सामाइयं णियमा ॥५६

अर्थात् आहार, शरीर संस्कार अब्रहा तथा आरम्भ त्याग ये चार बातें पौषधोपवास व्रत में आती हैं। इन चारों का त्याग एकदेश भी होता है और सर्वदेश भी जो सम्पूर्णतः पौषध करता है, उसे नियमतः सामायिक करनी चाहिए।

रत्नकरण्ड श्रावकाचार में यह विधान है कि प्रत्येक मास की दो अष्टमी और दो चतुर्दशी इन चारों ही पर्वों में अपनी शक्ति न छिपाकर सावधानी पूर्वक पौषधोपवास करने वाला पौषधनियम - विधायी श्रावक कहलाता है।

पर्वदिनेषु चतुर्विधिः, मासे-मासे स्वशक्तिमनिबुह् ।

प्रोषधनियमाविधायी, प्रणधिपरः प्रोषधानशनः ॥५७

‘य’ का भेद विष विषय में, विष मारे इक बार ।

जयन्तसेन विषय सदा, हनन करे द्वरवान् ॥

पौष्ठ शब्द प्रोष्ठ के रूप में भी प्रयुक्त है जिसका अर्थ है प्रकृष्ट औषध एक बार भोजन करना प्रोष्ठ और बिल्कुल भोजन न करना उपवास। पर्व से पहले दिन सुबह के समय और उसके अगले दिन सन्ध्या के समय केवल एक—एक बार भोजन करना और पर्व वाले दिन दोनों समय भोजन न करना। इस प्रकार सोलह प्रहर तक सर्व आरम्भ का तथा भोजन का इसमें त्याग होता है।

पौष्ठ व्रत का फल प्रतिपादित करते हुए कहा गया है :-
पोसहों य सुहे भावे, असुहाइ खवेइ णति सदेहो ।
छिदेइ नरयतिरियाइ, पोसह विहिअप्पमरेण ॥५८

अर्थात् यह बात निःसन्देह सही है कि पौष्ठ करने वाला अप्रमत रहकर जो शुभ भाव से विधिपूर्वक पोष्ठ करे तो उसके सकल दुःख नष्ट हो जाते हैं और नरक और तिर्यच गतियों का विच्छेद हो जाता है अर्थात् सद्गति का भोजन बन जाता है।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि श्रावक जब तक प्रोष्ठोपवास में अपना सारा समय व्यतीत करता है, तब तक वह श्रावक होते हुए भी महाव्रतधारी श्रमण की भूमिका के तुल्य है।

ऊपर हमने श्रावकाचार के बारह व्रतों का उल्लेख किया है। किन्तु व्रत बारह ही हों, ऐसी बात नहीं है। बारह से अधिक भी हो सकते हैं। यथा बारह व्रतों में उल्लिखित सामायिक व्रत षडावश्यक कर्म का एक अंग है। श्रावक यदि चाहे तो सामायिक के साथ साथ स्तवन, वंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान को भी अपने व्रत में समाविष्ट कर सकता है।

प्रस्तुत प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि श्रावक के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उक्त बारह व्रतों को एक साथ पूर्णतया अंगीकार करे वह चाहे तो अपनी सुविधानुसार एक-दो या चार-पाँच व्रत भी स्वीकार कर सकता है या बारह के बारह व्रत भी। जैसे कुछेक लोग ब्रह्मचर्याणुव्रत ही स्वीकार करते हैं। जैसी जिस व्यक्ति की शक्ति और क्षमता होती है, वह तदनुरूप व्रतों का वरण करता है।

नियमपूर्वक श्रावकाचार का पालन करने वाला व्यक्ति पहले से बारहवें देवलोक तक जा सकता है। भविष्य में वह पुनः मनुष्य-जन्म प्राप्त कर श्रमण धर्म का वरण करता है और निर्वाण पा सकता है। उपासक-दशांग सूत्र के अनुसार उसमें सूचित दस श्रावक अब मात्र तीन जन्म और लेंगे तथा तीसरे जन्म में निर्वाण पद प्राप्त करेंगे।

उत्तराध्ययन सूत्र (५-२४) में लिखा है कि गृही-जीवन में सुव्रतों का पालन करके श्रावक देवलोक में जाता है —

एवं सिक्खा - समावने, गिहि वासेवि सुव्वए ।
मुच्चर्वै छविपव्वाओ, गच्छे जक्खनलोगयं ॥

१	तत्वार्थ सूत्र ७. १	२	श्रावक धर्म प्रज्ञप्ति ६
३	योग शास्त्र २. १	४	आतुर प्रत्याख्यान (३)
५	सावय पण्णति (२५८)	६	बन्धवधन्धविच्छेदातिरोपणात्र पाननिरोधा:- तत्वार्थ सूत्र (७-२१)
७	योगशास्त्र २. १९, २१	८	योगशास्त्र २. २८-२९, २१
९	वही २.६३	१०	तत्वार्थ सूत्र ७. २२
११	सावय पण्णति २६०-२६२		
१२	कन्यागो भूम्यलीकानि, न्यासापहरणं तथा कृटसाक्ष्यन्व पंचेति, स्थूलासत्यान्यकीर्तनय ॥ योगशास्त्र २.५४		
१३	योगशास्त्र २-५५	१४	स्थानांग ६. ३
१५	योगशास्त्र २. ८४-७५	१६	तत्वार्थ सूत्र ६. २३
१७	सावय पण्णति २६८	१८	योगशास्त्र २. १०९-१०
१९	योगशास्त्र २. ९९	२०	वही २. १०२
२१	सावय पण्णति २७३	२२	तत्वार्थ सूत्र ७. २४
२३	उपदेशमाला २४३	२४	भक्त-परिक्षा १३२
२५	योगशास्त्र २. १०९-१०	२६	वही २. ११५
२७	उपदेशमाला २४४		
२८	बाहिरसंगा, खेतं वत्यु धणधन्रकुप्य भांडाणि।		
	दुपयचउप्य, केव सयणासणे य तहा ॥ -भगवती आराधना १९		
२९	तत्वार्थ सूत्र ७	३०	आतुर प्रत्याख्यान ४
३१	तत्वार्थ सूत्र ७. १७	३२	योगशास्त्र २. ३
३३	सामायिक पाठ २८०	३४	तत्वार्थ सूत्र ७. २६
३५	योगशास्त्र ३. ९६	३६	वसुनन्दी श्रावकाचार २१५
३७	तत्वार्थ सूत्र ७. २७		
३८	द्रष्टव्य :- अठेण तं न बंधइ, जमणटेण तु थोबबहु भाव। अट्टे कालाईया, नियागमा न उ अण्डाए ॥		
	सावयपण्णति २९०		
३९	योगशास्त्र ३. ७४	४०	सावय पण्णति २८९
४१	तत्वार्थ सूत्र ७. २८	४२	आतुर-प्रत्याख्यान १५
४३	तत्वार्थ सूत्र ७-१७		
४४	सामायिक देशावकासिक पौष्ठोपवासातिथि संविभागश्वत्वारि शिक्षा पदानीति धर्मबिंदु २. १८		
४५	वज्जंनंमणंत गुंवरि, अच्चंगापं च भोगओ माणं।		
	कम्मयओ खरकम्मा, इयाण अवरं इमं भपियं ॥ पंचास्तिकाय १. २१		
४६	योगशास्त्र ३. ४-५		
४७	योगशास्त्र ३. ६-७	४८	संबोध सत्तरि २५
४९	क विशेषावश्यक भाष्य २६९०		
	ख नियमसार १२६		
५०	अनुयोगद्वार सूत्र २७		
५१	सामाइयं समइयं, समवाओ समास संखेओ ।		
	अणवज्जं च परिणा पच्चक्खाणे य ते अट्टम ॥		
५२	पुरुषार्थसिद्धयुपाय १०९	५३	पंचास्तिकाय १. ३१
५४	योगशास्त्र ३. ८७		
५५	रलकरण श्रावकाचार १४०	५६	पंचास्तिकाय १. ३०
५७	द्रष्टव्य - समणसुतं पृ. २७०	५८	पुरुषार्थसिद्धयुपाय १५७